

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान रेजीडेन्सियल एज्युकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस)
कमरा नम्बर 411, अम्बेडकर भवन सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर। 0141-2226666

क्रमांक एफ 7(2) (02262)राछा./सान्याअवि/2018/967

जयपुर, दिनांक 25-08-2023

आदेश

राईस द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान एवं चयन की प्रक्रिया एवं पात्रता में राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त आदेश क्रमांक एफ1(A) (140)स्था./राईस/सामान्य/2015/29541 दिनांक 07.05.2015 में आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु वरीयता अनुक्रम के बिन्दु संख्या-3 पर "अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के अत्याचार पीड़ितों/मृतकों के आश्रितों के बालक-बालिका" को जोड़ने के उपरान्त प्रवेश हेतु वरीयता अनुक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

प्रवेश के लिए चयन प्रक्रिया एवं निर्धारित समयावधि एवं पात्रता:-

क्र.स.	निर्धारित समयावधि	प्रवेश हेतु वरीयता अनुक्रम	पात्रता/विशेष विवरण
1.	प्रति वर्ष 25 जून तक	1. पूर्व से आवासरत विद्यार्थी 2. अनाथ बालक/बालिका 3. अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के अत्याचार पीड़ितों/मृतकों के आश्रितों के बालक-बालिका 4. विशेष योग्यजन स्वयं 5. विधवा/परित्यक्ता स्वयं 6. विधवा/परित्यक्ता के बालक-बालिका 7. विशेष योग्यजन परिवार के बालक-बालिका 8. पी.पी.एल. परिवार के बालक-बालिका 9. 8.00 लाख वार्षिक आय सीमा वाले परिवार के बालक-बालिका	गत कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी 50 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक वाले बालक- बालिका गत वर्ष के प्राप्तांकों की अवरोही (Descending) वरीयतानुसार

उक्त आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा एवं शेष शर्तें पूर्व आदेश क्रमांक एफ1(1) (140)स्था./राईस/सामान्य/2015/29541 दिनांक 07.05.2015 में वर्णित अनुसार यथावत रहेंगी। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

अतिरिक्त निदेशक,
राईस

क्रमांक एफ 7(2) (02262)राछा./सान्याअवि/2018/968-78

जयपुर, दिनांक 25-08-2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलक्टर,।
- वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
- संयुक्त निदेशक, देवनारायण, मुख्यावास।
- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मुख्यावास को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं संबंधित को ई-मेल करने दावत।
- संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/जिला परिचीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी/ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि,.....।
- प्रधानाचार्य, आवासीय विद्यालय, समस्त को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार प्रवेश की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।
- सहायक निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि सामान्य पत्रों में प्रचार-प्रसार कराने की व्यवस्था करावें।
- आदेश पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Dalchand Verma
Designation Additional Director
Date: 2023.08.25 11:48:25 IST
Reason: Approver

RajKaj Ref No. - 4594243

